उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

23.6.17

पत्रावली तोरेलीमय नारोईलाल पर पेश
फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया।

पत्रावली फैसला शुमार हो कार्यालय
में जमा हो

प्रकरण संख्या :– 298/2017

1. कालू आत्मज नाथु नायक, निवासी कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. नारायण आत्मज जमनालाल शर्मा, निवासी कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. नन्दु देवी पत्नी नाथुलाल गुर्जर, निवासी कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. देवीलाल आत्मज प्यारचन्द जाट, निवासी कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 05.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कारोई, पटवार हल्का कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 1944 रकबा 01–02 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 01–02 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षी संख्या 01 से 02 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेश नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कारोई, पटवार हल्का कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 1944 रकबा 01–02 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 01–02 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/– अक्षरे तीन सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 23.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(रेनू मीना आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाडा